# FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, मुकाम नागौर

**प्रार्थीगण**

मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति गेसावत निवासी मस्जिद अहले हदीस के पास, मकराना तहसील मकराना वगैरह

बनाम

**अप्रार्थीगण**

खलील अहमद पुत्र माहेम्मद हारुन जाति गेसावत निवासी पीर की दरगाह रोड़, मकराना थाना पुलिस मकराना वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 29 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1 6/18 | प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र उप खण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर के यहां अधीन धारा 411 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/12 बअनवान सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मूसा वगैरह को अन्यंत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। सम्बंधित पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र पर पैरावाईज टिप्पणी तलब होकर पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन हेतु दि0 07.06.2018 को पेश हो।<br>जिला कलक्टर,नागौर | |
| 7.6.18 | वकील प्रार्थी उप०। श्रीमान P.O साहब आज प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11.6.18 को पेश हो। | |
| 11-6-18 | वकील प्रार्थी उपस्थित।<br>वकील प्रार्थी ने सूची दस्तावेज मय दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी की प्रकरण के एडमिशन पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में 145 सी.आर.पी.सी. के तहत एक परिवाद पेश किया कि ग्राम बिदियाद की सरहद में जमीन खसरा नम्बर 156 जिसमें खान संख्या 240 एक्स का क्योरी लाईसेन्स खनिज विभाग से लेकर एवं खान संख्या 240 पहाड़ कुआ रेंज में माईनिंग के खसरे में से लाईसेन्स लेकर पार्टी संख्या 1(III) व पार्टी संख्या 2(III) खनन करने लगे तत्पश्चात गैर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 के आपस में विवाद होने से नुक्शे–अमन का अन्देशा होने पर व आपसी दोनों पक्षकारों के बीच फौजदारी मुकदमें दर्ज होने से थाना अधिकारी पुलिस थाना परबतसर द्वारा दोनों पक्षकारों को गैर सायल पार्टी संख्या 1 व 2 बनाकर धारा 145 व 146 सी.आर.पी.सी. का परिवाद पेश किया जो परिवाद दर्ज कर विवादित खान संख्या 240 व 240 एक्स को कुर्क कर रिसिवर नियुक्त किया तथा दोनों पक्षकारों से जबाब तलब किया गया। गैर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाब पेश करने पर गैर सायलान पार्टी संख्या 1 को शहादत पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच गैर सायल पार्टी संख्या 2 ने कुर्की आदेश के खिलाफ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परबतसर की अदालत में निगरानी पेश कर दी जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैर सायल पार्टी संख्या 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेटिशन पेश की जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेटिशन विचाराधीन होने से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11-6-18 (लोहार) | पश्चात गैर सायल संख्या 1 की शहादत शुरू की गई और तमाम गवाहों की शहादत अदालत ने लेकर पूरी कर ली। तत्पश्चात गैर सायल संख्या 2 की ओर से शहादत प्रारम्भ की गई जो चालू है।<br>अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद कौशल्या देवी बनाम तहसीलदार वाद संख्या 65/2017 एवं भंवरीदेवी बनाम कालू मु0सं0 120/16 प्रकरणों में दिनांक 4.4.2018 की आदेशिका के अनुसार बार संघ द्वारा परबतसर द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार होने से इन प्रकरण में कार्यवाही नहीं होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी पेश दी गई है, परन्तु प्रार्थी के प्रकरण में 4.4.2018 की पेशी को खलील अहमद के बयान लिये जाना अंकित किया है, जो गलत है।<br>प्रार्थी पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में ही गवाह से जिरह करना चाहते है पूर्व में भी प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में जिरह नहीं करने का रीडर से निवेदन किया लेकिन रीडर द्वारा दिनांक 11.05.2018 की आदेशिका में पार्टी नं0 1 जिरह हेतु अवसर चाहा अंकित करते हुऐ पार्टी नम्बर 1 को जिरह के लिए पूर्व में अवसर देना अंकित कर अंतिम अवसर देना लिख दिया, जो कतई गलत है। इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से न्याय की बिल्कुल ही आशा नहीं होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी के प्रकरण संख्या 1/2012 सरकार बनाम मुस्तफा को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मैरिट पर सुनवाई करने का निवेदन किया।<br>उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी परबतसर की रिपोर्ट 07.06.2018 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुसार एस.डी.ओ. को उनके पास विचाराधीन प्रकरण का 1 वर्ष में निस्तारण करना है। उक्त एक वर्ष की अवधि लगभग समाप्त हो रही है। हस्तगत प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 76/2017 मो0 अली वगैरह बनाम खलील वगैरह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 05.02.2018 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण ट्रान्सफर हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 18.5.2016 खारिज कर दिया। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक के विरूद्ध दिनांक 05.02.2018 को रिट दायर की गई, जिसमें सुनवाई पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने से प्रकरण में पार्टी संख्या 2 की साक्ष्य पूर्ण करवाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन होते हुए भी पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र तथ्य छिपाते हुऐ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करना चाहता है। प्रार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है।<br>वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो आवश्यक पक्षकार होते हुऐ भी उन्हे इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जहां तक अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिस्कार किया जाता है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकरण के संबंध में न्यायालय में पक्षकारान के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाना किसी भी प्रकार से गैर वाजिब नहीं है।<br>प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में जिरह नहीं करने का रीडर से निवेदन किया लेकिन रीडर द्वारा दिनांक 11.05.2018 की आदेशिका में पार्टी नं0 1 जिरह हेतु अवसर चाहा अंकित करते हुऐ पार्टी नम्बर 1 को जिरह के लिए पूर्व में अवसर देना अंकित कर अंतिम अवसर देना लिख दिया जो कतई गलत है, को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त आदेशिका दिनांक 11.05.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के उभय पक्षकारान व उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे है, और आदेशिका पर अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है, ऐसे में पीठासीन अधिकारी उक्त दिनांक को किस प्रकार अनुपस्थित रहे है, के संबंध में | |

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11-8-18 (लगातार) | प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुसार एस.डी.ओ. को उनके पास विचाराधीन प्रकरण का 1 वर्ष में निस्तारण करना है। उक्त एक वर्ष की अवधि लगभग समाप्त हो रही है।<br>प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मु0नं0 1/12 सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मूसा वगैरह को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 76/2017 मो0 अली वगैरह बनाम खलील वगैरह प्रस्तुत किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.02.2018 से खारिज किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 05.02.2018 को प्रार्थी द्वारा रिट दायर की गई है, जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है तथा उक्त रिट माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मु0नं0 1/12 को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के संबंध में रिट मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होते हुऐ भी पुनः उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। आदेश सुनाया गया।<br>(कुमार पाल गौतम)<br>जिला कलक्टर नागौर<br>कलक्टर, नागौर | |

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)